

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>मदनलाल बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 28 / 2023</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08-04-24</p>	<p>अपीलार्थी मदन लाल निवासी पुरानी भाखरी बास, सूरसागर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04/09/23 में (1) ग्राम पंचायत आगोलाई पटवार मंडल आगोलाई तहसील बालेसर पूव शेरगढ के खसरा नं. 1150 में दिनांक 12 जनवरी 1975 को आवंटन अधिकारी भू.अभि.बालेसर द्वारा आबादी भूमि के पट्टे जारी किये थे, उक्त खसरा नम्बर 1150 में आवंटित सभी पट्टे के नक्शा व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	